



20/17

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक


फागु मुण्डा बगैरह

बनाम डीमन मुण्डा बगैरह

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|--|----------------|
| | <p>अभिलेख सं०-एम...122.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी गडे O.P के अप्राथमिकी सं०-33/17 दिनांक-17/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि भूमि विवाद जमीन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22/09/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> | |

22-09-17

~~अभिलेख उपस्थापित~~ / उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 13-10-17 को शर्तें।


22/9/17

पत्र की ओर से गवर्नी मूषण एजाम
से परिणत श्वं प्रतिपरिणत लिया गया तथा
गवर्नी से मुक्त किया गया । प्रथम पत्र
गवर्नी से दिनांक 05-03-18 को रखते ।

१
16/2/18

05-03-18 परिणत प्रदाधिकारी कार्यालय कार्य में
मस्त । दिनांक 16-03-18 को रखते ।

16-03-18 परिणत प्रदाधिकारी नगर पंचायत निर्वाचन
कार्य में मस्त । दिनांक 26-03-18 को रखते ।

26-03-18 अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक 01
उपस्थित अन्य अधिवक्ता एजरी दिनांक 01
क्रमांक 04 उपस्थित अन्य अधिवक्ता एजरी ।
उक्त वाद में 6(के) माह की अवधि पूर्ण हो
इकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है । अतः
वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है ।

१
26/3/18